

आय-कर आयुक्त, मद्रास

बनाम

एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स लिमिटेड, मद्रास

(न्यायमूर्ति:- के. सुब्बा राव, जे. सी. शाह और एस. एम. सिकरी।)

आय-कर-व्यवसाय बंद होने के बाद मशीनरी की बिक्री- हासिल मूल्य और मशीनरी के मूल लागत मूल्य पर प्राप्त अतिरिक्त आय- क्या कर योग्य-क्या उत्तराधिकारी का मूल्यांकन पूंजीगत लाभ पर किया जाना चाहिए। आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) धारा 10 ( 2 ) ( vii) दूसरा परंतुक, धारा 26 ( 2 ) और परंतुक।

फ्री प्रेस कंपनी एक निजी लिमिटेड कंपनी थी जो कुछ समाचार पत्रों के छापने और प्रकाशकों के रूप में व्यवसाय करती थी। 31 अगस्त, 1946 को फ्री प्रेस कंपनी ने समाचार पत्रों को छापने और प्रकाशित करने का अधिकार निर्धारिती कंपनी को हस्तांतरित कर दिया और 1 सितंबर, 1946 से मशीनरी और संपत्तियों को पट्टे पर दे दिया। निर्धारिती कंपनी ने तदनुसार 1 सितंबर से समाचार पत्र प्रकाशित करना शुरू कर दिया। 31 अक्टूबर, 1946 फ्री प्रेस कंपनी ने स्वैच्छिक परिसमापन कर लिया । लिक्विडेटर ने 1 नवंबर, 1946 को इसकी पुष्टि की।

1 नवंबर, 1946 को उपरोक्त मशीनरी को 6,08,666 रुपये के लाभ के साथ बेचा गया था। 6,08,666 . वह राशि (i) मूल लागत मूल्य और

मूल्य मशीनरी के लिखित मूल्य के बीच के अंतर से बनी थी- 2,14,090 ,  
( ii) मूल लागत मूल्य से अधिक राशि- 3,94,576 . लेखा वर्ष 1946-47  
के लिए आयकर के लिए निर्धारिती का आकलन करते समय आयकर  
अधिकारी ने निर्धारिती-कंपनी की कुल आय में उक्त दो राशियों को शामिल  
किया। पहली मद का आकलन धारा 10 ( 2 ) ( vii) आयकर अधिनियम  
के परंतुक के तहत लाभ के रूप में किया गया था और दूसरी मद का  
मूल्यांकन पूंजीगत लाभ के रूप में किया गया था। यह मामला उच्च  
न्यायालय तक गया। एक संदर्भ पर उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया  
कि निर्धारिती उक्त दो मदों के संबंध में कर के लिए उत्तरदायी नहीं था।

निर्णीत किया गया:- ( i) अधिनियम की धारा 10 ( 2 ) ( vii)  
का दूसरा परंतुक केवल ऐसी मशीनरी की बिक्री पर लागू होगी जिसका  
उपयोग लेखा वर्ष के दौरान व्यवसाय के उद्देश्य के लिए किया गया था।  
बिक्री आय को दूसरे परंतुक के तहत शुल्क में लाने के लिए निम्नलिखित  
शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए: ( 1 ) पूरे पिछले वर्ष या उसके किसी  
भाग के दौरान व्यवसाय निर्धारिती द्वारा चलाया गया हो; (2) व्यवसाय में  
मशीनरी का उपयोग किया गया होगा; और (3) जब व्यवसाय किया जा  
रहा था तब मशीनरी बेची गई होगी, न कि इसे बंद करने या बंद करने के  
उद्देश्य से। इस मामले के तथ्यों पर यह अभिनिर्धारित किया गया था कि  
वर्तमान मामले में मशीनरी की बिक्री व्यवसाय बंद होने के बाद और  
समापन कार्यवाही के दौरान हुई थी, इसलिए यह उक्त परंतुक के दायरे से

बाहर होगी और इस प्रकार पहली मद अर्थात रुपये 2,14,090 आय-कर में मूल्यांकन नहीं किया जा सकता था।

द लिक्विडेटर्स ऑफ पर्स लिमिटेड v. आय-कर आयुक्त, बिहार, [1954] एस. सी. आर. 767 और के. एम. एस. रेड्डी, आयकर आयुक्त, केरला बनाम वेस्ट कोस्ट केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (परिसमापन में), एलेप्पी, [1962] सप। 3 एस. सी. आर. 960 पर भरोसा किया गया।

आय-कर आयुक्त, बॉम्बे सर्कल II बनाम राष्ट्रीय सिंडिकेट, बॉम्बे, [1961] 2 एस. सी. आर. 229 ने समझाया।

(ii) धारा 26(2) और परंतुक दोनों धरा (6) में उल्लिखित चौथे शीर्ष के तहत लाभ के साथ सव्यवहार करता है, इसलिए यह इसमें पूंजीगत लाभ शामिल नहीं हैं। व्यवसाय और पूँजी के लाभ और लाभ आय-कर अधिनियम में लाभ दो अलग अवधारणाएँ हैं: पहला उस गतिविधि से उत्पन्न होता है जिसे व्यवसाय कहा जाता है और दूसरा अर्जित होता है क्योंकि पूंजीगत परिसंपत्तियों का निपटान उनकी लागत से अधिक मूल्य पर किया जाता है। इसलिए अधिनियम की धारा 26( 2 ) के तहत उत्तराधिकारी होने के नाते निर्धारिती 3,94,576 ( दूसरा मद) रुपये के संबंध में आय-कर के लिए उत्तरदायी नहीं हो सकता है। जो पूँजी लाभ का प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि पूँजी लाभ को धारा 26( 2 ) के दायरे से बाहर रखा गया है।

यूनाइटेड कमर्शियल बैंक लिमिटेड बनाम आय-कर आयुक्त, पश्चिम बंगाल, [1958] एस. सी. आर. 79, संदर्भित।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 596/1963

मद्रास उच्च न्यायालय के 1 मार्च, 1960 के निर्णय से अपील 1955 के संदर्भित मामले संख्या 11 में।

के. एन. राजगोपाल शास्त्री और आर. एन. सचथे - अपीलार्थी के लिए।

आर. गणपति अय्यर और आर. गोपालकृष्णन प्रत्यर्थीगण के लिए

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 596/1963

मद्रास उच्च न्यायालय को संदर्भित मामले संख्या 11/1955 के फैसले दिनांकित 1 मार्च 1960 के खिलाफ अपील।

अपीलकर्ता की ओर से केएन राजगोपाल शास्त्री और आरएन सचथे।

प्रतिवादी की ओर से आर. गणपति अय्यर और आर. गोपालकृष्णन।

7 मई, 1964 को न्यायालय का फैसला न्यायाधिपति सुब्बा राव द्वारा सुनाया गया था। विशेष अनुमति द्वारा यह अपील धारा 66(1) आयकर अधिनियम, 1922 जिसे इसके बाद में अधिनियम कहा जाएगा के तहत आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए संदर्भ में मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर की गई है।।

संदर्भ और वर्तमान जांच के प्रासंगिक तथ्य इस प्रकार हैं की फ्री प्रेस ऑफ इंडिया (मद्रास) लिमिटेड जिसे इसके बाद फ्री प्रेस कंपनी कहा जाएगा, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी जो कुछ समाचार पत्रों जैसे मद्रास में "इंडियन एक्सप्रेस", "धिनामणि" और "आंध्र प्रभा", कलकत्ता में "ईस्टर्न एक्सप्रेस" और "भारत" और बंबई में "संडे स्टैंडर्ड" और "मॉर्निंग स्टैंडर्ड" के प्रिंटर और प्रकाशक के रूप में कारोबार करती थी। 31 अगस्त, 1946 को फ्री प्रेस कंपनी ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें 22 अप्रैल 1946 को या इसके आसपास बनी एक नई कंपनी - एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स लिमिटेड, जिसे इसके बाद करदाता-कंपनी कहा जाएगा, को 1 सितंबर 1946 से उक्त समाचार पत्रों को छापने और प्रकाशित करने का अधिकार हस्तांतरित कर दिया गया। अपनी मशीनरी और परिसंपत्तियों को किराए पर देना और निर्धारिती-कंपनी को फ्री प्रेस कंपनी की बही ऋण एकत्र करने और देनदारियों का भुगतान करने के लिए अधिकृत कर दिया। तदनुसार निर्धारिती कंपनी ने 1 सितंबर, 1946 से समाचार पत्र प्रकाशित करना शुरू कर दिया। 31 अक्टूबर, 1946 को फ्री प्रेस कंपनी ने एक आम सभा की बैठक में कंपनी को स्वेच्छा से बंद करने का संकल्प लिया। इसके तहत नियुक्त परिसमापक को कंपनी का कारोबार नहीं करने का निर्देश दिया गया। 1 नवंबर, 1946 को परिसमापक ने बैलेंस-शीट के अनुसार निर्धारिती-कंपनी द्वारा ली गई देनदारियों पर संपत्ति का मूल्य रु 19,36,000/ और यह राशि निर्धारिती की पुस्तकों में फ्री प्रेस कंपनी के दो निदेशकों के खाते में

जमा की गई थी। फ्री प्रेस कंपनी का मुनाफ़ा रुपये 6,08,666 आंका गया जो लिखित मूल्य और मशीनरी की बिक्री मूल्य के बीच का अंतर है। उक्त राशि की सूची प्रकार है (i) मूल लागत मूल्य और मशीनरी की लिखित कीमत के बीच के अंतर से रु. 2,14,090/-, (ii) मूल लागत मूल्य से अधिक राशि रु. 3,94,576/- । आयकर अधिकारी ने निम्नलिखित शीर्षकों के तहत निर्धारित कंपनी की कुल आय में उक्त सूची को शामिल किया (i) धारा 10(2) (vii) के प्रावधान के तहत लाभ रु. 2,14,090/-, और (ii) धारा 12 B के तहत पूंजीगत लाभ रु. 3,94,576/-, और प्रत्येक पर कर निर्धारण किया गया। आयकर अपीलिय न्यायाधिकरण ने निर्धारित की कुल आय में पूंजीगत लाभ के तहत सूची को शामिल करने की वैधता को बरकरार रखा, लेकिन पहली सूची को शामिल करने के खिलाफ फैसला किया। अपीलिय न्यायाधिकरण ने अन्य बातों के अलावा, निम्नलिखित दो प्रश्नों को आयकर अधिनियम की धारा 66(1) के तहत मद्रास उच्च न्यायालय को निर्णय के लिए संदर्भित किया :-

"4. क्या फ्री प्रेस कंपनी ने अधिनियम की धारा 10(2) (vii) के प्रावधानों के तहत 2,14,090/- रुपये का व्यावसायिक लाभ कमाया है ?"

"6. क्या फ्री प्रेस कंपनी द्वारा अर्जित पूंजीगत लाभ अधिनियम की धारा 26(2) के तहत एक्सप्रेस कंपनी के

हाथों मूल्यांकन योग्य है ?"

इस सन्दर्भ की सुनवाई उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने की जिसमें न्यायाधिपति राजगोपालन और न्यायाधिपति रामचन्द्र अय्यर शामिल थे। जिन्होंने अपने निर्णय से दोनों प्रश्नों का उत्तर नकारात्मक और विभाग के विरुद्ध दिया। वर्तमान अपील उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपील में निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर बहस की गयी। लेखांकन वर्ष 1946-47 के दौरान फ्री प्रेस कंपनी ने 1 सितंबर 1946 से समाचार पत्रों की छपाई और प्रकाशन का व्यवसाय नहीं किया और उसके बाद करदाता-कंपनी अकेले ही उक्त व्यवसाय कर रही थी। फ्री प्रेस कंपनी 31 अक्टूबर, 1946 को स्वैच्छिक परिसमापन में चली गई और परिसमापक ने 1 नवंबर 1946 को फ्री प्रेस कंपनी द्वारा निर्धारित-कंपनी को संपत्ति के हस्तांतरण की पुष्टि की। इसलिए 1 नवंबर, 1946 को मशीनरी के लिखित मूल्य और बिक्री मूल्य के बीच का अंतर रुपये 6,08,666/- का लाभ अर्जित करते हुए उपरोक्त मशीनरी फ्री प्रेस कंपनी को बेच दी गई। मोटे तौर पर कहा जाए तो, मशीनरी फ्री प्रेस कंपनी द्वारा लेखा वर्ष के दौरान अपना व्यवसाय बंद करने और स्वैच्छिक परिसमापन में जाने के बाद बेची गई थी। उन तथ्यों पर राजस्व के विद्वान वकील ने हमारे सामने निम्नलिखित दो तर्क उठाए: (1) यह कि रुपये 2,14,090/- की मशीनरी

के लिखित मूल्य पर अधिशेष का प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 10(2) (vii) के प्रावधान के अनुसार मूल्यांकन योग्य था और (2) यह कि रुपये 3,94,576/-, जो फ्री प्रेस कंपनी द्वारा किए गए पूंजीगत लाभ का प्रतिनिधित्व करता है, निर्धारिती-कंपनी के हाथों में मूल्यांकन योग्य है, जो अधिनियम की धारा 26(2) के तहत उक्त व्यवसाय में सफल हुआ।

प्रतिवादी के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 10(2)(vii) और ही धारा 26(2) में निर्धारित शर्तों ने आय की उक्त दो सूचियों को आकर्षित नहीं किया और इसलिए, वे निर्धारिती-कंपनी के हाथों में मूल्यांकन योग्य नहीं थे।

पहला प्रश्न अधिनियम की धारा 10 के प्रासंगिक प्रावधानों पर केंद्रित है। प्रासंगिक प्रावधानों के दायरे को स्पष्ट रूप से देखने के लिए उन्हें एक ही स्थान पर पढ़ना सुविधाजनक होगा।

धारा 10 .-(1) कर निर्धारिती द्वारा उसके द्वारा किए गए किसी भी व्यवसाय, पेशे या व्यवसाय के लाभ या लाभ के संबंध में "व्यवसाय, पेशे या व्यवसाय के लाभ और लाभ" शीर्षक के तहत देय होगा।

(2) ऐसे लाभ या प्राप्ति की गणना निम्नलिखित भत्ते देने के बाद की जाएगी, अर्थात्: -

(iv) व्यवसाय, पेशे या व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली इमारतों, मशीनरी, संयंत्र, फर्नीचर, स्टॉक या स्टोर के नुकसान



या विनाश के जोखिम के खिलाफ बीमा के संबंध में। भुगतान किए गए किसी भी प्रीमियम की राशि:

(v) ऐसे भवनों, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर की वर्तमान मरम्मत के संबंध में, उसके लिए भुगतान की गई राशि;

(vii) ऐसे किसी भवन, मशीनरी या संयंत्र के संबंध में, जिसे बेच दिया गया है या त्याग दिया गया है या ध्वस्त कर दिया गया है या नष्ट कर दिया गया है, वह राशि जिसके लिए लिखित मूल्य उस राशि से अधिक है जिसके लिए भवन, मशीनरी या संयंत्र, जैसा भी मामला हो, वास्तव में बेचा गया है या इसका स्क्रेप मूल्य:

बशर्ते कि जहां वह राशि जिसके लिए ऐसी कोई इमारत, मशीनरी या संयंत्र बेचा जाता है, चाहे व्यवसाय जारी रखने के दौरान या उसके बंद होने के बाद लिखित मूल्य से अधिक हो, तो अतिरिक्त राशि मूल लागत और लिखित मूल्य जो पिछले वर्ष का लाभ माना जाएगा जिसमें बिक्री हुई थी के बीच के अंतर से अधिक न हो।

हम अधिनियम की धारा 10(2) (vii) के दूसरे परंतुक से चिंतित हैं। मूल खंड उस भवन, मशीनरी या संयंत्र के संबंध में संतुलन भत्ता प्रदान करता है जिसे बेच दिया गया है या त्याग दिया गया है या ध्वस्त कर दिया गया है। भत्ता बिक्री मूल्य से अधिक लिखित मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। प्रावधान के तहत, यदि बिक्री मूल्य लिखित मूल्य से अधिक है,

लेकिन मूल लागत मूल्य से अधिक नहीं है, तो मूल लागत और लिखित मूल्य के बीच का अंतर उस वर्ष के पिछले वर्ष का लाभ माना जाएगा जिसमें बिक्री होती है। तात्पर्य यह है कि, बिक्री पर प्राप्त कीमत और लिखित मूल्य के बीच का अंतर बचा हुआ मुनाफा माना जाता है जिसके लिए निर्धारिती को कर के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। चूंकि बिक्री मूल्य लिखित मूल्य से अधिक है, इसलिए अंतर निर्धारिती को गलती से दिए गए अतिरिक्त मूल्यह्रास का प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरण के लिए: मान लीजिए कि किसी मशीनरी या संयंत्र की मूल लागत रु. 100/- और मूल्यह्रास की अनुमति रु. 25/-; लिखित मूल्य रुपये 75/- है। यदि मशीनरी रुपये 100/- में बेची जाती है तो यह स्पष्ट है कि रुपये 25/-का मूल्यह्रास की गलत अनुमति दी गई। यदि इसकी अनुमति नहीं दी गई होती तो उस राशि का मुनाफा उस हद तक बढ़ जाता। जब यह पाया जाता है कि गलत तरीके से लाभ की अनुमति दी गई थी तो उस पर शुल्क लगाया जाता है। इसलिए, दूसरा प्रावधान वास्तव में निर्धारिती द्वारा किए गए व्यवसाय के छूटे हुए लाभ या लाभ पर शुल्क लगाने का प्रावधान प्रदान करता है। इस प्रावधान का दायरा शून्य में सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। इसकी प्रयोज्यता की शर्तें अन्य संबंधित प्रावधानों के संबंध में ही सुनिश्चित की जा सकती हैं। अधिनियम की धारा 3 के तहत आयकर प्रत्येक निर्धारिती के पिछले वर्ष की कुल आय के संबंध में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार और उसके अधीन किसी भी वर्ष के लिए लगाया

जाएगा, अधिनियम की धारा 6 के तहत कर योग्य आय के प्रमुखों में से एक "व्यापार, पेशे या व्यवसाय का लाभ और लाभ है; अधिनियम की धारा 10(1) के तहत निर्धारिती का शीर्ष लेखांकन वर्ष के दौरान किसी भी व्यवसाय के लाभ या लाभ के संबंध में कर देने की लिए देय है। मुख्य शर्त जो अनुभाग के अन्य सभी उप-वर्गों और खंडों को आकर्षित करती है वह यह है कि कर एक निर्धारिती द्वारा उसके द्वारा किए गए किसी भी व्यवसाय आदि के लाभ या प्राप्ति के संबंध में देय होगा। महत्वपूर्ण शब्द हैं- "उसके द्वारा किया गया व्यवसाय"। यदि लेखांकन वर्ष के दौरान निर्धारिती द्वारा व्यवसाय किए जाने पर लाभ या लाभ अर्जित नहीं किया गया था तो वे धारा 10(1) के प्रावधान से बाहर होंगे । उदाहरण के लिए यदि व्यवसाय बंद होने के बाद या जब व्यवसाय परिसमापन के अधीन था तब मशीनरी बेची गयी तो यह मानना उचित नहीं होगा कि बिक्री से अर्जित लाभ या लाभ उस व्यवसाय के संबंध में थे जो निर्धारिती द्वारा किया जा रहा था। दूसरी शर्त जो दूसरे प्रावधान को आकर्षित करती है वह बेची गई "इमारत, मशीनरी या संयंत्र" से पहले "ऐसे" विशेषण में निहित है। विशेषण "ऐसा" धारा 10 के खंड (iv), (v), (vi) और (vii) को संदर्भित करता है । खंड (iv) व्यवसाय, पेशे या व्यवसाय के प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली इमारतों, मशीनरी, संयंत्र आदि के नुकसान या विनाश के जोखिम के खिलाफ बीमा के संबंध में भुगतान किए गए किसी भी प्रीमियम के संबंध में भत्ते की अनुमति प्रदान करता है। इस खंड के

तहत केवल व्यवसाय के उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली मशीनरी के संबंध में भत्ते की अनुमति है। खंड (v), (vi) और (vii) ऐसी इमारतें, मशीनरी, संयंत्र आदि को संदर्भित करता हैं जिनका उपयोग व्यवसाय के उद्देश्य से किया जाता है। इसका परिणाम यह है कि दूसरा प्रावधान केवल ऐसी मशीनरी की बिक्री पर लागू होगा जिसका उपयोग लेखांकन वर्ष के दौरान व्यवसाय के उद्देश्य के लिए किया गया था। यदि बेची गई मशीनरी का उपयोग लेखांकन वर्ष के दौरान व्यवसाय के लिए किया गया था जब व्यवसाय चलाया जा रहा था तो यह अनावश्यक भत्तों की आड़ में बचाए गए मुनाफे को चार्ज करता है। इसलिए, बिक्री आय को चार्ज करने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाएगा: (1) पिछले वर्ष या उसके एक हिस्से के दौरान निर्धारिती द्वारा व्यवसाय चलाया गया होगा; (2) मशीनरी का उपयोग व्यवसाय में किया गया होगा; और (3) मशीनरी तब बेची गई होगी जब व्यवसाय चल रहा था न कि इसे बंद करने या समेटने के उद्देश्य से। यदि उक्त परंतुक की प्रयोज्यता के लिए ये शर्तें थीं तो तत्काल मामले में व्यवसाय बंद होने के बाद और समापन की कार्यवाही के दौरान मशीनरी की बिक्री, उक्त परंतुक के दायरे से बाहर होगी और इसलिए पहली वस्तु पर कर निर्धारण योग्य नहीं है। यह मुद्दा सीधे तौर पर पर्सा लिमिटेड के परिसमापक बनाम आयकर आयुक्त, बिहार 1954S.C.R.767 में विचार के लिए उठाया गया था। वहां निर्धारिती-कंपनी ने गन्ना उगाने और चीनी बनाने और बेचने का व्यवसाय किया। वर्ष 1943 में इसने कंपनी को बंद

करने के उद्देश्य से कारखाने और अन्य संपत्तियों की बिक्री के लिए बातचीत की। इसे 9 अगस्त 1943 को एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ और 7 दिसंबर 1943 को बिक्री का समझौता संपन्न हुआ। 9 अगस्त 1943 और 7 दिसंबर 1943 के बीच कंपनी ने मशीन को साफ-सुथरा और चालू हालत में रखने के अलावा कभी भी चीनी बनाने या अन्य कोई और उद्देश्य से मशीनरी और संयंत्र का उपयोग नहीं किया। आयकर अधिकारियों ने अधिनियम के परंतुक 2 से धारा 10(2)(vii) के तहत 1 अक्टूबर 1943 से 30 सितंबर 1944 तक की लेखा अवधि के लिए कंपनी के आयकर मूल्यांकन में कंपनी द्वारा इमारतों, संयंत्र और मशीनरी की बिक्री पर किए गए अधिशेष को लाभ के रूप में माना। इस न्यायालय ने माना कि उक्त राशि कर योग्य नहीं थी। इस न्यायालय ने राजस्व के इस तर्क को खारिज कर दिया कि उक्त अतिरिक्त दो आधारों पर कर योग्य था:- (1) "मशीनरी और संयंत्र की बिक्री कंपनी द्वारा किए गए व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए एक ऑपरेशन नहीं था बल्कि एक प्राप्ति थी इसके व्यवसाय को धीरे-धीरे समाप्त करने की प्रक्रिया में इसकी संपत्तियाँ जो अंततः कंपनी के स्वैच्छिक परिसमापन में परिणत हुईं (2) "भले ही चीनी के स्टॉक की बिक्री को कंपनी द्वारा व्यवसाय जारी रखने के रूप में माना जाए और वसूली नहीं परिसमापन की दृष्टि से अपनी परिसंपत्तियों का मशीनरी या संयंत्र का लेखांकन वर्ष में बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जा रहा है और किसी भी घटना में लेखांकन वर्ष के दौरान उस सीमित व्यवसाय को चलाने से कोई

संबंध नहीं है। धारा 10(2)(vii) ऐसी किसी भी मशीनरी या संयंत्र की बिक्री पर लागू नहीं हो सकता। राजस्व प्राधिकरण के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि उक्त निर्णय में न्यायालय द्वारा मुख्य आधार यह था कि मशीनरी या संयंत्र का लेखांकन वर्ष में उपयोग नहीं किया गया था और वह दूसरा कारण की संपत्ति का विक्रय समापन की प्रक्रिया में विक्रय किया गया था यह एक बाध्यकारी आधार नहीं था बल्कि केवल ऑब्जर्वेटरी था और इसलिए निर्णय इस आधार पे आधारित नहीं था। लेकिन जब निर्णय का सावधानीपूर्वक अध्ययन करे तो बिना किसी संदेह के यह निष्कर्ष पे पहुंचा जा सकता है कि निर्णय दोनों ही आधारों पर आधारित था। जैसा कि हस्तगत प्रकरण में यह तथ्य है कि उक्त मशीनों को किसी ववसाए की वजह से नहीं बेचा गया है अपितु उसे परिसमापन कार्यवाही के दौरान विक्रय हुआ है इसलिए यह निर्णय सीधे वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर प्रकाश प्रदान करता है। यह प्रश्न इस न्यायालय द्वारा आयकर आयुक्त, बॉम्बे सर्कल ॥ बनाम नेशनल सिंडिकेट, बॉम्बे (1) मामले में पुनः विचार में लिया गया था। इस मामले में नेशनल सिंडिकेट जो की बॉम्बे की एक फर्म है, ने 11 जनवरी, 1945 को 89,321/- रुपये का एक सिलाई व्यवसाय का अधिग्रहण किया जिसमें सिलाई मशीनें और एक मोटर लॉरी शामिल थे। तुरंत बाद ही प्रतिवादी को व्यवसाय जारी रखना मुश्किल हो गया, और इसलिए उसने अगस्त, 1945 में अपना व्यवसाय बंद कर दिया। 16 अगस्त, 1945 और 14 फरवरी, 1946 के बीच, सिलाई मशीनें और मोटर

लॉरी को भी घाटे में ही विक्रय करनी पड़ी। प्रतिवादी ने 28 फरवरी, 1946 को अपनी खाता बही बंद कर दी, जिसमें दो नुकसान दिखाए गए और उन्हें बट्टे खाते में डाल दिया। वर्ष 1946-47 के लिए, प्रतिवादी ने भारतीय आयकर अधिनियम के धारा 10 (2) (vii) के तहत कटौती का दावा किया। की । तब न्यायालय को उक्त धारा के वाक्यखान का मौका मिला तो नयायधिपति हिदायतुल्लाह के माध्यम से इस न्यायालय ने माना कि यह नुकसान एक व्यावसायिक नुकसान था। उक्त मशीनों एवम मोटर लॉरी का उपयोग व्यवसाय के उद्देश्य के लिए उस मूल्यांकन वर्ष में किया गया था और उसे व्यवसाय बंद होने के बाद ही बेचान किया गया था। यह न्यायालय, अपील के तहत निर्णय और इस न्यायालय के फैसले पुरसा लिमिटेड के परिसमापक बनाम आयकर आयुक्त, बिहार, को ध्यान में रखते हुए तथा अधिनियम के 10 (2) (vii) के परंतुक में संशोधन को प्रसंज्ञान में लेते हुए यह मत रखा कि: -

"लेकिन यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि व्यवसाय बंद होने के बाद इमारतों, मशीनरी या संयंत्र पर होने वाले नुकसान को बाहर निकालने के लिए उपधारा (vii) में ऐसा कोई संशोधन नहीं किया गया था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि परन्तुक से जुड़ा सिद्धांत को नियंत्रित करने वाले प्रावधान एक ही नहीं हो सकते क्योंकि व्यापार में लाभ या हानि अलग-अलग तरीकों से उत्पन्न हो सकती है।

इसलिए, दोनों निर्णय इन् तथ्यों पर लागू होते हैं।"

यह तर्क दिया गया है कि इस निर्णय द्वारा स्वीकृत सिद्धांत लिक्विडेटर ऑफ़ पर्सा लिमिटेड, में निर्धारित सिद्धांत के विपरीत है। ऐसा कहा जाता है कि व्यापार को पूर्ण रूप से ठहराव लाने से पूर्व ही मशीनरी की बिक्री होनी चाहिए थी, और यह ही अधिनियम की धारा 10(1) के अंतर्गत मंशा दर्शित की गयी है जो की उपधारा (vii) के साथ - साथ दूसरे परन्तुक पे भी लागू होता होता है, और यदि कभी अधिनियम के धारा 10(2) के उपधारा (vii) में उल्लेखित सारवान शर्तों की पलना नहीं किया गया तो यह परन्तुक के संशोधन से पूर्व के प्रावधान से असंगत होगा। तो कहा गया कि इस तर्क में कुछ प्रशंसनीयता है। लेकिन इस न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों उपधारा (vii) के सारवान प्रावधान से और दूसरे परन्तुक के वो भाग में स्पष्ट रूप से अंतर बताया गया था और स्पष्ट रूप से उन निर्णयों से असंगति इस आधार पर दर्ज किया कि ये निर्णय उपधारा (vii) के विवेचन में मदद नहीं होगा। जब न्यायालय ने स्पष्ट रूप से ये निर्णय के सिमा को केवल उपधारा (vii) के सारवान प्रावधान के विवेचन तक सिमित कर दिए हैं और इसे उन निर्णय जो की दूसरे परन्तुक की विवेचन कर



रहे हैं उनके वाद्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इसलिए यह सही नहीं होगा अगर यह न्यायालय वो निर्णय को बाध्य मान ले की अधिनियम के 10(2) के उपधारा (vii) के दूसरे परन्तुक के संशोधन से पूर्व के विवेचन कर रहा है. यह न्यायालय के एम एस रेड्डी, आयकर आयुक्त, केरल बनाम वेस्ट कोस्ट केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड एलेप्पी(2) ने माना कि समापन के प्रयोजन से की गयी बिक्री व्यापार या कारोबार के अंतर्गत नहीं आती है. सायनों और अन्य कच्चे माल को सामान्य व्यापार के दौरान नहीं बल्कि कंपनी के बंद होने के बाद केवल वसूली बिक्री के रूप में बेचा गया था। हिदायतुल्ला, जे. के माध्यम से बोलते हुए, इस न्यायालय ने निम्नलिखित प्रश्न उठाया, "सवाल यह है कि क्या रसायनों और अन्य कच्चे माल के संबंध में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बिक्री होने की बात कही जा सकती है।"

हेल्सबरी के इंग्लैंड के नियम, तीसरा संस्करण, खंड के अंशों का उल्लेख करने के बाद जिसमें यह कहा गया था कि "परिसंपत्तियों की मात्रा प्राप्ति व्यापार नहीं है" और व्यापारिक गतिविधियों का हिस्सा बनने वाली बिक्री और जहां प्राप्ति व्यापार का कार्य नहीं थी, के बीच अंतर था, विद्वान न्यायाधीश ने कहा देखा गया कि उक्त भेद ठोस था। विद्वान न्यायाधीश ने,

अन्य निर्णयों पर विचार करते हुए, ट्रेडिंग के हिस्से के रूप में पूरे स्टॉक की बिक्री और समापन बिक्री के रूप में स्टॉक के एक हिस्से की बिक्री के बीच किए गए अंतर को भी सही माना। तब विद्वान न्यायाधीश ने मामले के तथ्यों पर सिद्धांतों को लागू किया और माना कि यह अनुमान लगाना असंभव है कि रसायन और कच्चे माल को व्यापार के सामान्य तरीके से बेचा गया था या निर्धारित कंपनी व्यापारिक व्यवसाय कर रही थी। यह निर्णय फिर से व्यवसाय के सामान्य तरीके से की गई बिक्री और व्यवसाय को बंद करने के उद्देश्य से की गई बिक्री के बीच अंतर को स्वीकार करता है और बाद के मामले में अर्जित लाभ व्यापारिक लाभ नहीं है। इस मामले में कोई संदेह नहीं है कि अधिनियम की धारा 10(2) के उपधारा (vii) दूसरे परन्तुक के प्रावधानों पर हावी होता है परन्तु यह स्वीकृत सिद्धांत है कि अधिनियम के धारा 10 अन्तर्गत आने वाले सिद्धांत को धारा १० के अन्य प्रावधानों पर भी वैसे ही लागू होंगे जब तक कि किसी विशेष प्रावधान में कोई अपवाद नहीं बनाया गया हो। पूर्वगामी कारणों से हमारा मानना है कि पहली वस्तु कर योग्य नहीं है और उच्च न्यायालय ने उसे सौंपे गए पहले प्रश्न का सही उत्तर दिया है।

दूसरा आइटम पूंजीगत लाभ से संबंधित है। यह मशीनरी की बिक्री पर प्राप्त मूल लागत मूल्य से अधिक कीमत को दर्शाता है। यह माना जाता है कि यह व्यवसाय के मुनाफे और लाभ का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, लेकिन यह "पूंजीगत लाभ" शीर्षक के अंतर्गत आता है। लेकिन यह तर्क

दिया जाता है कि, चूंकि फ्री प्रेस कंपनी बंद हो गई और इसलिए, उसे ढूंढा नहीं जा सका, इसलिए करदाता, जो इसमें सफल हुआ था, एस के प्रावधान के तहत उक्त पूंजीगत लाभ के लिए मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी होगा। अधिनियम की धारा 26(2) विवाद की सराहना करने के लिए अधिनियम के कुछ प्रासंगिक प्रावधानों को पढ़ा जा सकता है:

धारा 6 -आयकर के लिए आय प्रभार्य के प्रमुख के रूप में अन्यथा इस अधिनियम के द्वारा प्रदत्त. सहेजें, आय, मुनाफे और लाभ की निम्न सिर, ढंग से चलकर अर्थात्, दिखने में आय कर के दायरे में होगी: -

(v) के मुनाफे और व्यापार, व्यवसाय या पेशे के लाभ.

(vi) पूंजीगत लाभ।

धारा 10.-(1) कर सिर के नीचे एक निर्धारिती द्वारा देय होगी से किसी का लाभ या लाभ के संबंध में "मुनाफा और व्यापार, व्यवसाय या पेशे के लाभ" व्यापार, व्यवसाय या पेशा को आगे बढ़ाया उसके द्वारा.

(2) इस तरह के लाभ या लाभ अर्थात् निम्नलिखित भत्ते, बनाने के बाद अभिकलन किया जाएगा: -

धारा 12 बी.-(1) कर बिक्री, विनिमय, त्याग या मार्च के 31 दिन बाद प्रभावित एक पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या लाभ के संबंध में सिर "पूंजीगत लाभ" के तहत एक निर्धारिती द्वारा देय होगी , 1956, और इस तरह के लाभ और लाभ बिक्री,

विनिमय, त्याग या स्थानांतरण जगह ले ली है, जो पिछले वर्ष की आय होना समझा जाएगा:

धारा 24.-(2 ए) उपधारा (1) में निहित किसी भी बात के बावजूद ,  
", यहां होने वाली हानि "पूंजीगत लाभ" शीर्षक के अंतर्गत आने वाली हानि है, ऐसे नुकसान को उस शीर्षक के अंतर्गत आने वाले किसी भी लाभ और लाभ के अलावा समायोजित नहीं किया जाएगा।

(2 बी) एक निर्धारिती उप - धारा (2) में निर्दिष्ट नुकसान को वहन करता है और नुकसान उस उपधारा के प्रावधानों के अनुसार समायोजित नहीं किया जा सकता है तो इस तरह समायोजित नहीं किए गए भाग को उस वर्ष के पूंजीगत लाभ के विरुद्ध अगले वर्ष आगे ले जाया जाएगा और और यदि इसे इस तरह से समायोजित नहीं किया जा सकता है, तो इस तरह से समायोजित नहीं की गई राशि का अगले वर्ष और इसी तरह आगे वहन किया जाएगा। इसलिए ऐसा कोई नुकसान आठ साल से अधिक समय तक आगे वहन नहीं होगा ।

परंतुक किसी कर निर्धारिती को, जो कंपनी नहीं है, पिछले वर्ष में हुई हानि पांच हजार रुपये से अधिक नहीं है, तो इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

धारा 26. - ( 2 ) जहां किसी व्यवसाय, पेशे या उद्यम को चलाने वाला व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसी क्षमता में उत्तराधिकार में आया

है, ऐसा व्यक्ति और ऐसा अन्य व्यक्ति, धारा 25 की उप-धारा (4) के प्रावधानों के अधीन होंगे , प्रत्येक का मूल्यांकन पिछले वर्ष की आय, लाभ और प्राप्तियों में उसके वास्तविक हिस्से, यदि कोई हो, के संबंध में किया जाएगा:

परंतु यह कि जब व्यवसाय, पेशे या उद्यम में उत्तराधिकारी व्यक्ति का पता नहीं चल पाता है, तो उस वर्ष के लाभ का आकलन, जिसमें उत्तराधिकार हुआ था से उत्तराधिकार की तारीख तक और उस वर्ष से पहले के वर्ष के लिए उसके बाद आने वाले उत्तराधिकारी व्यक्ति पर भी उसी तरीके से और उसी राशि का किया जाएगा जैसा कि उत्तराधिकार में आने वाले व्यक्ति पर किया गया होता या जब उत्तराधिकारी व्यक्ति पर निर्धारित ऐसे वर्षों में से किसी एक के लिए किए गए मूल्यांकन के संबंध में कर उससे वसूल नहीं किया जा सकता है, तो यह उत्तराधिकारी व्यक्ति द्वारा भुगतान किया जाएगा और उससे वसूली की जाएगी, और ऐसा व्यक्ति उत्तराधिकारी व्यक्ति से भुगतान किए गए किसी भी कर की राशि वसूल करने का हकदार होगा।

उक्त धाराओं की रूपरेखा एक स्पष्ट योजना को दर्शाती है। यद्यपि आयकर कुल आय पर लगाया जाने वाला केवल एक कर है, धारा 6, छह शीर्षों की गणना करती है जिनके तहत एक कर निर्धारिती की आय पर शुल्क लगाया जाता है। इस न्यायालय ने यूनाइटेड कमर्शियल बैंक लिमिटेड

बनाम आयकर आयुक्त प. बंगाल ( 1958 एस सी आर 79) में अभिनिर्धारित किया कि धारा 7 और 12 परस्पर अनन्य है और जहां आय की कोई वस्तु विशेष रूप से एक ही शीर्ष के अंतर्गत आती है, उसे उसी शीर्ष के अंतर्गत लिया जाएगा, किसी अन्य के अंतर्गत नहीं। धारा 6 में अभिव्यक्ति "आय, लाभ और प्राप्ति" एक समग्र अवधारणा है जो उसमें उल्लिखित आय के सभी छह शीर्षों को शामिल करती है। चौथा शीर्ष "व्यापार, पेशे या उद्यम का लाभ और प्राप्ति " है और छठा शीर्ष "पूंजीगत लाभ" है। धारा 10 एक निर्धारिती द्वारा किए गए व्यवसाय, पेशे या उद्यम के लाभ और प्राप्ति पर कर लगाती है; यह विभिन्न प्रकार के भत्तों की भी गणना करता है जो लाभ की गणना में किए जा सकते हैं। धारा 10(1)के तहत ,जैसा कि हमने पहले ही बताया है, धारा को लागू करने के लिए आवश्यक शर्त यह है कि निर्धारिती ने लेखांकन वर्ष के कुछ भाग के लिए व्यवसाय किया हो। धारा 26(2) किसी व्यवसाय, पेशे या उद्यम की आय, लाभ और प्राप्ति के मूल्यांकन के तरीके को इंगित करती है। यह धारा किसी अन्य मद के तहत आय के आकलन का प्रावधान नहीं करती है। यह केवल यह कहता है कि यदि किसी लेखा वर्ष के दौरान व्यवसाय चलाने वाले व्यक्ति का उत्तराधिकार होता है, तो वह व्यक्ति जो उत्तराधिकारी था और उत्तराधिकार में आने वाला व्यक्ति दोनों का मूल्यांकन उसके वास्तविक हिस्से के संबंध में किया जा सकता है। परंतुक ऐसे मामले से संबंधित है जहां उत्तराधिकारी व्यक्ति का पता नहीं लगाया जा

सकता है; उस स्थिति में, जिस वर्ष उत्तराधिकार हुआ था उस वर्ष से लेकर उत्तराधिकार की तारीख तक और उस वर्ष से पहले के वर्ष के लाभ का आकलन उसके उत्तराधिकारी व्यक्ति पर किया जाएगा। यदि उत्तराधिकारी व्यक्ति पर उक्त वर्षों के संबंध में पहले ही आकलन किया जा चुका है, तो इसे उत्तराधिकार में आने वाले व्यक्ति से वसूल किया जा सकता है। लेकिन उपधारा (2) और परंतुक दोनों केवल व्यवसाय की आय, लाभ और प्राप्तियों से संबंधित है, यानी, धारा 6 के चौथे शीर्ष के तहत लाभ और प्राप्तियों के संबंध में किए गए मूल्यांकन के लिए। धारा 12बी पूंजीगत लाभ का प्रावधान करती है। इस धारा के तहत निर्धारित अवधि के दौरान पूंजीगत संपत्ति की बिक्री से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या प्राप्ति के संबंध में पूंजीगत लाभ के तहत करदाता द्वारा कर का भुगतान किया जाएगा। इसमें आगे कहा गया है कि इस तरह के लाभ या प्राप्ति को पिछले वर्ष की आय माना जाएगा जिसमें बिक्री आदि हुई थी। यह डीमिंग खंड धारा 6 के छठे शीर्ष से पूंजीगत लाभ को नहीं रखता है और इसे चौथे शीर्ष के अंतर्गत रखता है। यह केवल एक सीमित कल्पना प्रस्तुत करता है, जिसका नाम है कि अर्जित पूंजीगत लाभ को पिछले वर्ष की आय माना जाएगा जिसमें बिक्री हुई थी। यह कल्पना उन्हें व्यवसाय के लाभ या प्राप्तियां नहीं दिलाती। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि एक कानूनी कल्पना उस उद्देश्य तक ही सीमित है जिसके लिए इसे बनाया गया है और इसे इसके वैध क्षेत्र से आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। धारा 24 की उप-धाराएं (2 ए)

और (2 बी) "पूंजीगत लाभ" शीर्ष के अंतर्गत आने वाले नुकसान को उसी शीर्ष के अंतर्गत आने वाले किसी भी पूंजीगत लाभ के विरुद्ध समायोजित करने का प्रावधान करती है। इस तरह के नुकसान को किसी अलग मद के अंतर्गत आने वाली आय से समायोजित नहीं किया जा सकता है। ये तीन खंड बिना किसी संदेह के संकेत देते हैं कि पूंजीगत लाभ की गणना उक्त प्रावधानों के अनुसार अलग से की जाती है और उन्हें व्यवसाय से लाभ के रूप में नहीं माना जाता है। व्यवसाय के लाभ और प्राप्तियां और पूंजीगत लाभ आयकर अधिनियम में दो अलग-अलग अवधारणाएं हैं: पहला उस गतिविधि से उत्पन्न होता है जिसे व्यवसाय कहा जाता है और बाद वाला अर्जित होता है क्योंकि पूंजीगत संपत्ति का निपटान करदाता की लागत से अधिक मूल्य पर किया जाता है। इन्हे विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत रखा गया है; वे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हुए हैं; और आय की गणना विभिन्न तरीकों से की जाती है। यह तथ्य कि पूंजीगत लाभ व्यवसाय की पूंजीगत संपत्तियों से जुड़ा हुआ है, इससे उन्हें व्यवसाय का लाभ नहीं मिल सकता है। उन्हें केवल पिछले वर्ष की आय माना जाता है, न कि उस वर्ष के दौरान व्यवसाय से उत्पन्न लाभ या प्राप्ति।

यदि यह अधिनियम की योजना है, तो राजस्व की ओर से विद्वान वकील के तर्क का उत्तर आसानी से दिया जा सकता है। वह पूछते हैं कि यदि धारा 26(2) केवल व्यवसाय के लाभ और प्राप्तिओं से संबंधित है, विधायिका को उसमें "आय" शब्द का उपयोग क्यों करना चाहिए? जैसा



कि हमने संकेत दिया है, अभिव्यक्ति "आय, लाभ और प्राप्ति" धारा 6 में उल्लिखित विभिन्न स्रोतों से आय को दर्शाने के लिए एक सारगर्भित शब्द है इसलिए, ऐसी अभिव्यक्ति का उपयोग विभिन्न शीर्षों के बीच अंतर को नहीं मिटाता है, बल्कि केवल व्यवसाय से होने वाली आय का वर्णन करता है। परंतुक में अभिव्यक्ति "लाभ" यह स्पष्ट करती है कि धारा 26 की उपधारा (2) में आय, लाभ और प्राप्ति केवल धारा 6 के चौथे शीर्ष के अंतर्गत लाभ को संदर्भित करते हैं। दूसरी ओर, यदि राजस्व द्वारा धारा 26 की उप-धारा (2) में अभिव्यक्ति "आय" पर की जाने वाली व्याख्या को स्वीकार कर लिया जाता है, तो परंतुक में उस शब्द की अनुपस्थिति तर्क को नष्ट कर देती है। लेकिन अधिक उचित दृष्टिकोण यह है कि उप-धारा और परंतुक दोनों केवल धारा 6 में उल्लिखित चौथे शीर्ष के अंतर्गत लाभ से संबंधित हैं और, ऐसा माना जाता है, इसमें पूंजीगत लाभ शामिल नहीं है। यह तर्क कि धारा 26 की उपधारा (2) सपठीत परंतुक, इंगित करता है कि उत्तराधिकारी व्यक्ति की कुल आय उप-धारा (2) के तहत अलग मूल्यांकन के लिए मानदंड है और परंतुक के अंतर्गत मूल्यांकन और प्राप्ति के लिए यह उपधारणा है कि उप-धारा (2) और परंतुक अधिनियम की धारा 6 में उल्लिखित सभी शीर्षों से संबंधित है। लेकिन यदि, जैसा कि हमने माना है, धारा 26 की उपधारा (2) का दायरा केवल व्यवसाय से होने वाली आय तक सीमित है, उपधारा (2) के तहत हिस्सेदारी और परंतुक के तहत मूल्यांकन और वसूली केवल व्यवसाय से होने वाली आय

से संबंधित हो सकती है। यह तर्क वास्तव में स्वयं प्रश्न को जन्म दे रहा है। परिणामस्वरूप हम दूसरे प्रश्न के संबंध में दिए गए उत्तर के संबंध में उच्च न्यायालय से सहमत हैं।

इस दृष्टि से हमारे विचारार्थ कोई अन्य प्रश्न नहीं उठता।

परिणामस्वरूप, अपील विफल होती है और खर्च के साथ खारिज की जाती है।

अपील खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी तिरुपति कुमार गुप्ता आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।